अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (ई0सी0 एक्ट), अलीगढ़

प्रभारी अधिकारी–संजय कुमार यादव–प्रथम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code No.–UP06339)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2674/2026
CNR No.-UPAL010057772026

मोहम्मद अली उम्र 40 वर्ष वल्द गुल्फाम अली, निवासी–4/1205ए बड़ी मस्जिद के पास, सर सैय्यद नगर, कोल, अलीगढ़ **.....अभियुक्त**

बनाम्

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–401/2023
धारा–307, 504, 506 भा0द0सं0
थाना–सिविल लाईन्स, जनपद–अलीगढ़

आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद अली** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2674/2026 बावत मुकदमा अपराध संख्या–401/2023 अन्तर्गत धारा–307, 504, 506 भा0द0सं0, थाना–सिविल लाईन्स, जिला अलीगढ़ में अग्रिम जमानत हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त अभियोग में उसकी गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है। उक्त मामला वैवाहिक परपुरूषगमन एवं आर्थिक विवाद से सम्बन्धित है। उसकी पत्नी हिनूर द्वारा प्रतिषोधात्मक कार्यवाही के चलते उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया असत्य, निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण हैं। घटना दिनांक 05.07.2023 रात करीब 01 बजे के बावत एफ.आई.आर. दिनांक 06.07.2023 को शाम करीब 04:58 बजे अनुचित विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। एफ.आई.आर. में गोली चलाने व तेजाब फेंकने का आरोप है, किन्तु कोई इंजरी नहीं है। निकाह के समय हिनूर के पिता ने उससे आठ लाख रूपये उधार लिए थे, जिन्हें दो वर्ष में वापस करने का आश्वासन दिया था। उसके काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने के दौरान उसकी पत्नी हिनूर के अकरम उर्फ टिप्पा, जो कि एक कुख्यात अपराधी है, से अवैध संबंध बन गये, जिसकी जानकारी उसे होने पर घर में कलह शुरू हो गयी और विवाद बढ़ने पर दिनाम 10.05.2023 को हिनूर अपना घर छोड़कर अपने जीजा असलम के घर चली गयी और अगले दिन मोहम्मद गौस रहीस खान, टिप्पा व दो व्यक्ति अज्ञान ने उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिसकी शिकायत थाने पर करने से रूष्ट होकर हिनूर ने उसके खिलाफ मु0अ0सं0–255/2023 धारा–498ए भा0द0सं0 दर्ज कराया। कानूनी उलझनों और उसके पिता द्वारा दिये गये चेक को बाउंस के मामले से बचने के लिए, हिनूर ने झूंठे तथ्यों के आधार पर अभियुक्त मोहम्मद अली, असलम और अन्य के खिलार्फ प्रश्नगत क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज करायी है। प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिया हिनूर का निकाह मोहम्मद अली उर्फ शेखू से करीब 07 वर्ष पहले हुआ था, उसका अपने पति से पारिवारिक विवाद न्यायालय में चल रहा है तथा थाना सिविल लाईन में मु0सं0–255/23 के रूप में विचाराधीन है। वह अपनी ससुराल के मकान में अपने बच्चे हमजा के साथ रह रही है तथा घरेलू हिंसा अधिनियम के मुकदमे में भी ससुराल में रहने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित है, जबकि उसके ससुरालीजन उसके घर पर छोड़कर सारा सामान ट्रक में भरवाकर भाग गये हैं, जिसकी 112

नम्बर पर रिपोर्ट दर्ज है। दिनांक 05.07.2023 को आधी रात करीब 01 बजे वह अपने पुत्र के साथ अन्दर सो रही थी, उसका शौहर मोहम्मद अली उर्फ शेखू, असलम खां व एक अज्ञात व्यक्ति उसके दरवाजे को पीटने लगे तथा गंदी–गंदी गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे तथा वह दरवाजा खोलकर जैसे ही लाइट जलाकर बाहर आयी तो उनके हाथ में तमंचे थे, उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलायी और उसके ऊपर एसिड फेंका, जो उससे कुछ दूर गिरा, वह भय से घर के अन्दर बन्द हो गयी, उक्त लोग उसे जान से मारना चाहते हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे मामले में झूंठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त को निर्दोष होने का कथन करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना किया गया।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्त द्वारा मामले में अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना के स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–522 बी.एन.एस.एस. नं0–8950/2025 मो0 अली उर्फ शेखू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांकित 07.08.2025 से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में पूर्व पारित अन्तरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खण्डित किया जा चुका है।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मामले में नामजद रहा है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ अन्तर्गत धारा–307, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 22.07.2026 के लिए समन जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुक्रम से मामले में समन जारी होने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी की युक्ति–युक्त आशंका का कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

इसी प्रकार केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचना के स्तर पर साक्षियों द्वारा दिये गये बयान से आरोपित अपराध में अभियुक्त की सक्रिय संलिप्तता का प्रकटन होता है। जैसा कि निर्णीत विधि व्यवस्था **सलोचना परदी बनाम म0प्र0 राज्य में दिनांक 06.01.2026** को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक एवं केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले की विवेचना न केवल पूर्ण हो चुकी है, वरन् मामले में अभियुक्त की सक्रिय संलिप्तता का तथ्य प्रकट होता है तथा अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसी प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर समन मात्र जारी होने से उसके विरूद्ध गिरफ्तारी की युक्ति–युक्त आशंका का कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

जिसके आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त **मोहम्मद अली** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2674/2026 बावत मुकदमा अपराध संख्या–401/2023 अन्तर्गत धारा–307, 504, 506 भा0द0सं0, थाना–सिविल लाईन्स, जिला अलीगढ़, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 18.06.2026

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
प्रभारी–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), अलीगढ़

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.18 17:52:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court